सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **83/2018** दायर दिनाँक **23.03..2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरी पत्नी ज्यानीखां 2. शमीमखां पुत्र ज्यानीखां 3. सकील पुत्र ज्यानीखां समस्त जाति भाट मुसलमान निवासी— गिरधारीपुरा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी,रेकार्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, 136 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री लाल सिंह गौदारा

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **22.02.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, **मौजा सरहद** गिरधारीपुरा पटवार हल्का कलवाणी भू. अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र डीडवाना में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 बिघा 07 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 81रकबा 37 बिघा 04 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 बिघा, खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 बिघा 08 बिश्वा की वर्तमान खातेदारी चालू पडत या एक वर्ष पडत गलत रूप से दर्ज है। नकल वर्तमान खतौनियों की साथ में पेश है।

मौजा सरहद गिरधारीपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 विघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 81रकबा 37 बिघा 04 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 विघा व खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 विघा 08 बिश्वा की खातेदारी व हक अधिकार तथा कब्जा काश्त वादिनी स.1 भंवरी के पिता व वादीगण स. 2 व 3 के नाना नूरमोहम्मद पुत्र धोंकलखां जाति— भाट मुसलमान निवासी— गिरधारीपुरा के नाम से थी। नकल खैताय पास बुक की साथ में पेश हैं।

उक्त खैताय नूरमोहम्मद ने अपने जीवनकाल में कोई जायन्दा पुत्र सन्तान नही होने से अपनी पुत्री वादीनी स. 01 भंवरी व भंवरी के पुत्रगण वादी स. 02 व 03 के पक्ष में उपरोक्त वर्णित खैतायों के सम्बन्ध में वसीयतनामा दिनांक 08.09.2000 को निस्पादित किया था। उक्त वसीयतनामा की प्रतिवाद—पत्र के साथ में पेश हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 83/2018
दायर दिनाँक 23.03.2018, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भंवरी बनाम तहसीलदार वगैरा।

वसीयतकर्ता नूरमोहम्मद के देहान्त के पश्चात **मौजा सरहद** गिरधारीपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 बिघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 37 बिघा 04 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 बिघा व खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 बिघा 08 भूमि पर वादीगण जरिये वसीयतनामा व वारिसान से उक्त खैतायों पर बतौर स्वामी कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग करने लगे। परन्तु अभी हाल के दिनों में वादिगण ने उपरोक्त खैताय की नकलें प्राप्त की तो वादीगण को सदभावी जानकारी हुई कि उपरोक्त वर्णित खैताय में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से नूरमोहम्मद की जगह वादीगण के नाम की खातेदारी दर्ज नही होकर के खातेदारी चालू पडत या एक वर्ष पडत दर्ज हो रखी हैं। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी से सम्पर्क करके खातेदारी दुरूस्ती का निवेदन किया गया तो प्रतिवादी ने कहा कि इस त्रुटी के सुधार हैतु योग्य न्यायालय के समक्ष वाद–पत्र प्रस्तुत करके कार्यवाही करनी पडेगी। इसलिए वादीगण की और से विरूद्व प्रतिवादी यह वाद–पत्र वास्ते घौषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व निषेधाज्ञा का लाजमी होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

वाद–हैतुक बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी **मौजा सरहद** गिरधारीपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 बिघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 81रकबा 37 बिघा 04 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 बिघा व खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 बिघा 08 की वर्तमान खातेदारी चालू पडत या एक वर्ष पडत गलत रूप से दर्ज होने से तथा उक्त खैताय की खातेदारी वादिनी स. 1 भंवरी के पिता व वादीगण स. 2 व 3 के नाना नूरमोहम्मद पुत्र धोंकलखां के नाम दर्ज होने व उनके हक अधिकार व कब्जा काश्त की होने से तथा खातेदार नूरमोहम्मद ने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा दिनांक 08.09.2000 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित करने से तथा नूरमोहम्मद के देहान्त के पश्चात उक्त खैतायों परद वादीगण जरिये वसीयतनामा व वारिसान से बतौर स्वामी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करने से तथा अभी हाल के दिनों में वादीगण द्वारा उपरोक्त खैताय की नकलें प्राप्त की तो वादीगण को इस बात की सदभावी जानकारी होने से कि उपरोक्त वर्णित खैताय में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से स्व. नूरमोहम्मद की जगह वादीगण के नाम की खातेदारी दर्ज नही होकर के खातेदारी चालू पडत या एक वर्ष पडत दर्ज हो गई हैं। जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी से सम्पर्क करके खातेदारी दुरूस्ती का निवेदन करने से अन्दर अदालत हाजा के वाद कारण उत्पन्न हो रहा हैं।

यह है कि प्रार्थना वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निम्न हैं–

क. यह कि मौजा सरहद गिरधारीपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 बिघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 81रकबा 37 बिघा 04 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 बिघा व खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 बिघा 08 बिश्वा खातेदारी चालू पडत या एक वर्ष पडत हटाया जाने की घोषणा की जाकर इन खैतायों की खातेदारी में वादीगण का नाम घोषित किया जाकर तदनुसार वादीगण को बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जाने के आदेश सादर फरमावें व तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 83/2018
दायर दिनाँक 23.03.2018, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भंवरी बनाम तहसीलदार वगैरा।

ख. यह है कि स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की सादर फरमावें कि **मौजा सरहद** गिरधारीपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 बिघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 81रकबा 37 बिघा 04 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 बिघा व खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 बिघा 08 बिश्वा की भूमि पर से वादीगण को प्रतिवादी ना तो स्वयं बेदखल करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से ऐसा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना ने बतौर राज0 पैरोकार अपना जवाब पेश किया।

वाद में निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया वाकै शरहद गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 76 रकबा 35.07 बीघा, खसरा सं0 81 रकबा 37.04 बीघा, खसरा सं0 87 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 99 बीघा 08 बिस्वा वादीगण की पैतृक व कब्जा काश्त भूमि है।

वादी,

2. आया वाकै शरहद गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 76 रकबा 35.07 बीघा, खसरा सं0 81 रकबा 37.04 बीघा, खसरा सं0 87 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 99 बीघा 08 बिस्वा की घोषणा खातेदारी करवाने का वादीगण अधिकारी है।

वादी,

3. आया वाकै शरहद गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 76 रकबा 35.07 बीघा, खसरा सं0 81 रकबा 37.04 बीघा, खसरा सं0 87 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 99 बीघा 08 बिस्वा चालू पडत या 01 वर्ष जुताई के रूप में सरकारी खाते में दर्ज है। वादी का खारिज करवाने के अधिकारी है।

4. अनुतोष? **प्रतिवादी,**

वादी ने अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी डब्ल्यू 01 से पी डब्ल्यू 05 शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राजस्व डायरी प्रदर्श पी–1 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी 1ए, मूल वसीयत प्रदर्श–2, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–2ए, भू प्रबन्धक सेटलमेन्ट प्रदर्श–3, भू प्रबन्धक खसरा पत्रक प्रदर्श–5, भू प्रबन्धक खसरा पत्रक प्रदर्श–6, जमाबन्द सं0 2021 से 2024 प्रदर्श–7, जमाबन्दी संवत 2013 से 2018 प्रदर्श'8, गिरदावरी संवत 2017 से 2020 प्रदर्श'9, खसरा सं0 76 की वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श–10, खसरा नम्बर 81 की वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श–11, खसरा सं0 84 व 87 की वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श–12 पेश किये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 83/2018
दायर दिनाँक 23.03.2018, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भंवरी बनाम तहसीलदार वगैरा।

तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 01 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के दस्तावेज प्रदर्श–1ए में नूर मोहम्मद का नाम स्पष्ट अंकित है। प्रदर्श–2ए वसीयतनामा है जो नूर मोहम्मद ने भंवरी के पक्ष में किया है। प्रदर्श–3ए से प्रदर्श–9 तक में वादी भंवरी के पिता नूर मोहम्मद का नाम आता रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा गिरदावरी संवत 2029 से 2032 में केफियत में नूरा पुत्र धोकला की काश्त का अंकन है। मौखिक साक्ष्य में वादीनी तथा वादिनी की माता व उपरोक्त वर्णित खसरा के पडौसियों से भी स्पष्ट है कि विवादित खसरान पर वर्षो से कब्जा काश्त वादीगण का है। मौंखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्यों के अुनसार वादीगण शरहद गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 76 रकबा 35.07 बीघा, खसरा सं0 81 रकबा 37.04 बीघा, खसरा सं0 87 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 99 बीघा 08 बिस्वा वादीगण की पैतृक व कब्जा काश्त भूमि अपनी पैत्रक साबित करने में सफल रहे है तथा वादीगण की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अखण्डित रही है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी संख्या 02 यह है कि "शरहद गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 76 रकबा 35. 07 बीघा, खसरा सं0 81 रकबा 37.04 बीघा, खसरा सं0 87 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 99 बीघा 08 बिस्वा की घोषणा खातेदारी करवाने का वादीगण अधिकारी है।" चूंकि तनकी संख्या 01 के निर्णय अनुसार उक्त सम्पति वादीगण की पैत्रक सम्पति साबित हो चुकी है तथा प्रतिवादी के जवाब अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त साबित है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–9 व गवाह पीडब्ल्यू–1 भंवरी, पीडब्ल्यू–2शमीम, पीडब्ल्यू–3 नन्दाराम, पीडब्ल्यू–4 हकीम, पीडब्ल्यू–5 भंवरी की मौखिक साक्ष्य से यह साबित होता है कि उपरोक्त खसरा पर वादीगण की पैत्रक कब्जा काश्त की भूमि रही है तथा वादीगण ही वर्तमान में काबिज है। उपरोक्त भूमि की प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 से साबित है कि पुरानी खातेदारी वादीगण के नाम से रही है। यद्यपि इस संबंध में न्यायालय के ध्यान में प्रतिवादी पक्ष द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के रेफरेन्स क्रमांक 418/1998 राज0 सरकार बनाम नूर मोहम्मद निर्णय दिनांक 28.07.2000 का सन्दर्भ दिया गया जिस निर्णय का सादर अवलोकन किया गया है। इस न्यायालय के मत में उक्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित उक्त रेफरेन्स का निर्णय के पश्चात विधिक स्थिति में परिवर्तन हो चुका है और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का पूर्ण सम्मान करते हुये राज0 सरकार द्वारा पारित परिपत्र क्रमांक प.1 (15) राज. /पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.2012 में निर्देशित विधिक मंशा अनुसार विधि का उक्त नया सिद्धान्त सुस्थापित हो चुका है इसलिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त नवीन परिपत्र दिनांक 30.03.2012 का सादर अवलोकन एवं इससे पारित निर्देशों से विधिक परिस्थितियां बदल जाने से हस्तगत प्रकरण की स्थिति में पूर्ण परिवर्तन आ जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.1(15)राज. पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.2012 द्वारा यह सुस्पष्ट कर दिया है कि इस परिपत्र में वर्णित संबंधित प्राधिकारी राजस्थान भु राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आंवटन) के नियम 18 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी रहेगें। चूंकि वादी की ओर से इस संबंध में संबंधित पुराना राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी ने नहीं किया है। ऐसी स्थिति में भी वादी उक्त परिपत्र में जारी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 83/2018
दायर दिनाँक 23.03.2018, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भंवरी बनाम तहसीलदार वगैरा।

निर्देशों के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्रकार उक्त वादित खसरों पर वादी पक्ष को अभिलेखित खातेदार घोषित किये जाने एवं इस संबंध में राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन व प्रविष्ठि किये जाने बाबत वादी की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य हो जाती है और इस प्रकार इस तनकी संख्या 02 का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय कर निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– चुंकि इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। परन्तु न्यायालय द्वारा तनकी सं0 01 व 02 का विस्तृत निर्णय और विधित स्थिति के अन्तर्गत विवाधक सं0 02 का भी निर्णय वादी के पक्ष में पारित किया जा चुका है। तनकी संख्या 03 मूल रूप से तनकी संख्या 02 का खण्डन मात्र है और तनकी संख्या 02 जब वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त कारण परिस्थितियों से तनकी संख्या 03 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

तनकीवार निर्णय वादीगण के पक्ष में साबित होने से वाद को डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद गिरधारीपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 बिघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 81रकबा 37 बिघा 04 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 बिघा व खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 बिघा 08 बिश्वा की खातेदारी में वादीगण का नाम घोषित किया किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 22.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री सत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 83/2018 दायर दिनांक 23.03.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरी पत्नी ज्यानीखां 2. शमीमखां पुत्र ज्यानीखां 3. सकील पुत्र ज्यानीखां समस्त जाति मोट मुसलमान निवासी- गिरधारीपुरा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी,रेकार्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु,
अन्तर्गत धारा- 88, 188, 136 R.T.Act.

दिनाँक 22.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी व राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद गिरधारीपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 35 बिघा 07 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 81रकबा 37 बिघा 04 बिश्वा, खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 15 बिघा व खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 11 बिघा 17 बिस्वा कुल 99 बिघा 08 बिश्वा की खातेदारी में वादीगण का नाम घोषित किया किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

मौज.........-......... मुबलिंग...........-............. बाबत....................-...........
.......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........-......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कुलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–83–2018/रीडर/2019/ 220 दिनाँक 26/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी,रेकार्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, 136 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरी पत्नी ज्यानीखां 2. शमीमखां पुत्र ज्यानीखां 3. सकील पुत्र ज्यानीखां समस्त जाति भाट मुसलमान निवासी– गिरधारीपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner